

256
3.000

(03) कोबाकपुर
12 MAY 2008
मुजफ्फरनगर



06AA 385690



Gulab



Vinod Ransel

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

भूमि का प्रकार	:-	आवासीय
वार्ड/परगना	:-	मुजफ्फरनगर
मौहल्ला/ग्राम	:-	बोबीपुर
मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्गमीटर)	:-	वर्गमीटर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:-	295 वर्गमीटर
सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)	:-	25 फुट से अधिक चौड़ा
अन्य विवरण (15 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि):-		नहीं है

Gulab

Vinod Ransel



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 336111



-2-

सम्पत्ति का प्रकार		
प्लॉट/पल्लेट/मकान/दुकान/कृषि :-	प्लॉट	
सहकारी आवास समिति के सदस्य से	नहीं है	
सम्बन्धित है :-	2,75,000 /-रुपये	
प्रतिफल की धनराशि :-	2,73,750 /-रुपये	
मालियत :-	850 /-रुपये	
निर्धारित दर :-	27,500 /-रुपये	
स्टाम्प शुल्क :-		
चौहददी:-		
पूरब :-	प्लॉट प्रथम पक्ष	
पश्चिम :-	आराजी दीगर	
उत्तर :-	भूमि दीगर	
दक्षिण :-	रास्ता 25 फुट से अधिक चौड़ा	

G. P. K.

Leishan Ransal

39

स्टाम्प विक्रय की तिथि 16-5-08

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रय का नाम व पूरा पता श्री बाबाजी कन्सल्टेशन

स्टाम्प की धनराशि 50000

गुरेन्द्र कुमार शर्मा (स्टाम्प विक्रेता)

तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

आई.एस.एस. सं. 8

पार्टिसन की तारीख 31-3-2011

गुरेन्द्र कुमार शर्मा
(स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

5000 x 3 = 15000

275,000.00/ 274,000.00

5,000.00

20

5,020.00

800

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत

श्री / श्रीमती गुरेन्द्र विजय पन्त

पुत्र / पत्नी श्री अम्बादत्त पन्त

पेशा व्यापार

निवासी स्थायी 42/22 सि० ला० उ० मु० नगर

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/5/2008 समय 4:31PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



0040

उपनिबन्धक(प्रथम)

मुजफ्फरनगर

16/5/2008

Gupob

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

श्री/श्रीमती गुरेन्द्र विजय पन्त

पुत्र/पत्नी श्री अम्बादत्त पन्त

पेशा व्यापार

निवासी 42/22 सि० ला० उ० मु० नगर



श्री/श्रीमती बाबाजी कन्सल्टेशन द्वारा पार्टनर विवेक

बंसल

पुत्र/पत्नी श्री परमेश्वर दयाल

पेशा व्यापार

निवासी 39 सुधराशाही मु० नगर



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री मी० याकूब

पुत्र श्री हबीब अहमद

पेशा व्यापार

निवासी शेरनगर मु० नगर

व श्री सुबेदीन

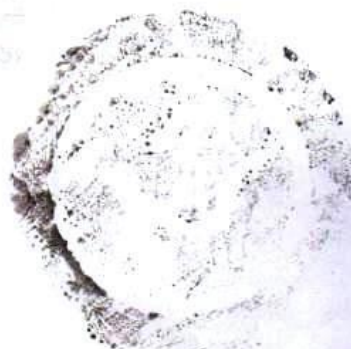
पुत्र श्री नरथू

पेशा कृषि

निवासी शेरनगर मु० नगर

ने की।

प्रत्यक्षता: भद्र साक्षियों के निजान अंगुठे नियमानुसार लिये गये हैं।



Gupob

Luick Bamsel

24/05/08

0040

उपनिबन्धक(प्रथम)

मुजफ्फरनगर

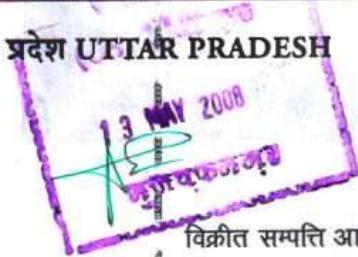
16/5/2008

0040



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 336112



-3-

विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)
विक्रेता का विवरण क्रेता का विवरण

हम कि गिरेन्द्र विजय पन्त पुत्र श्री अम्बादत्त पन्त निवासी 42/22, सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व श्री बालाजी कन्सट्रक्शन 377 पटेल नगर नई मन्डी मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर श्री विवेक बंसल पुत्र श्री परमेश्वर दयाल निवासी 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) है। जो कि प्रथम पक्ष सम्पत्ति निम्नलिखित का मालिक व काबिज है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कतई पाक व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात

Gupah

Shrik Bansa

40 टाप्प विजय की दिवि 16-5-08
 टाप्प की धनराशि 5000/-
 बामिल तम्बर 399 किया गया।

नरेन्द्र कुमार वर्मा (स्टाप्प विन्नेडा)
 तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
 साईसेम्स सं० 8
 आईसेम्स की बरबदि 31-3-2011

नरेन्द्र कुमार वर्मा
 (स्टाप्प विन्नेडा)
 तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

विक्रेता

Registration No.: 5744

Year: 2008

Book No.: 1

0101 गिरेन्द्र विजय पन्त

अम्बादत्त पन्त

42/22 सि० ला० उ० मु० नगर

व्यापार



-६-

1. प्रमाणित कि कानून लागू की आगार विपणन करने।

(1) प्रमाणित कि कानून लागू की आगार विपणन करने।
 प्रमाणित कि कानून लागू की आगार विपणन करने।

1. प्रमाणित कि कानून लागू की आगार विपणन करने।
 प्रमाणित कि कानून लागू की आगार विपणन करने।
 प्रमाणित कि कानून लागू की आगार विपणन करने।
 प्रमाणित कि कानून लागू की आगार विपणन करने।
 प्रमाणित कि कानून लागू की आगार विपणन करने।
 प्रमाणित कि कानून लागू की आगार विपणन करने।
 प्रमाणित कि कानून लागू की आगार विपणन करने।
 प्रमाणित कि कानून लागू की आगार विपणन करने।
 प्रमाणित कि कानून लागू की आगार विपणन करने।
 प्रमाणित कि कानून लागू की आगार विपणन करने।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 336113



-4-

माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किस्म के अंकन दो लाख पचहत्तर हजार रुपये (2,75,000/-रुपये) आधे जिसके अंकन एक लाख सैंतीस हजार पांच सौ रुपये (1,37,500/-रुपये) होते हैं बदस्त श्री बालाजी कन्सट्रक्शन 377 पटेल नगर नई मन्डी मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर श्री विवेक बंसल पुत्र श्री परमेश्वर दयाल निवासी 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य नकद पेशतर प्राप्त कर लिया है। अब कोई पैसा बाकी नहीं रहा है। कब्जा व दखल विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष ने अपना उठाकर दखल व कब्जा बहालत मौजूदा मौके पर मिस्त अपने द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष या उनके वारसान का कोई ताल्लुक नहीं रहने है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की स्वयं की किसी

[Signature]

Vivek Bansal

तहसील कुणार मर्ग
(रामचन्द्र चिकित्सा)
नरसील रोड, मुजफ्फर नगर ३

ब्रेता

Book No. : 1

[illegible]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 910320

-5-



क्रिया से या उनके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण से विक्रीत सम्पत्ति या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हें अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा रिवाजी ध्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति नहीं होगी। विक्रीत सम्पत्ति की मालियत निर्धारित दर के अनुसार अंकन 2,50,750/-रुपये होती है तथा विक्रीत प्लॉट जो खसरा नम्बर छियासी का जुजवी भाग है कि उत्तर व पश्चिम की चार फुट ऊंची दीवार है जिसकी मलबे की अधिकतम मालियत अंकन 23,000/-रुपये है जो विक्रय मूल्य में शामिल बैय है। इस प्रकार कुल मालियत अंकन 2,73,750/-रुपये होती है, लेकिन विक्रीत सम्पत्ति का मुहायदा बहुत माकूल कीमत पर अंकन 2,75,000/-रुपये में है। वर्तमान बाजारी कीमत किसी भी दशा में इससे

Gupah

Quick Ramal



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 910321

15 MAY 2008
(03) 10/10/08

-6-

ज्यादा नहीं है। जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है। विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में भविष्य के जुमला खर्चे एवं विकास शुल्क द्वितीय पक्ष के जिम्मे होंगे। विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई रजिस्टर्ड इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत सम्पत्ति में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के कथनानुसार कोई निर्माण किसी प्रकार का नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति के 50 मीटर की त्रिज्या में आवासीय क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहें और समय पर काम आवें। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम बीबीपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि एक प्लॉट पैमायशी पूरब:- 50 फुट 5 इंच, शिचिम:- 50 फुट 5 इंच, उत्तर:- 63 फुट, दक्षिण:- 63 फुट, क्षेत्रफल 352.87 वर्गगज यानि 295 वर्गमीटर है। जिसकी सीमाएँ पूरब:- प्लॉट

[Signature]

[Signature]

ड्राफ्ट कर्ता:-विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

आज दिनांक	<u>16/05/2008</u>	को			
वही सं.	<u>1</u>	जिल्द सं.	<u>4204</u>		
पृष्ठ सं.	<u>137</u>	से	<u>154</u>	पर क्रमांक	<u>5744</u>
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।					

90

			16/5/2008		
